भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- *300
गुरूवार, 27 मार्च, 2025/6 चैत्र, 1947 (शक)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर

300 **श्री मनोज कुमार झा:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नौकरी की तलाश करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों हेतु नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर (एनसीएस) के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों और नौकरी के प्रस्ताव प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या में असमानता पर ध्यान दिया है**;**

(ख) इस कमी के क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं**;**

(ग) क्या प्रशिक्षण केन्द्रों के अभाव में 11 राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को उक्त योजना के लाभों से वंचित रखा जा रहा है**,** यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;** और

(घ) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए समान पहुंच और रोजगार के बेहतर अवसर सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं**?**

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(डॉ मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

“अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर” के संबंध में श्री मनोज कुमार झा द्वारा दिनांक 27.03.2025 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *300 के उत्तर में संदर्भित विवरण ।

*****

(क) से (घ): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय “अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों हेतु कल्याण संबंधी योजना” क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य व्यावसायिक मार्गदर्शन, कैरियर परामर्श, कंप्यूटर प्रशिक्षण, भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण आदि के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है।

इस योजना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर इन केंद्रों को मॉडल संस्थानों के रूप में खोलने की परिकल्पना की गई है, ताकि मार्गदर्शन/कोचिंग/प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के इच्छुक व्यक्तियों की रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सके। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार अपनी आवश्यकता के आधार पर अपने स्वयं के संसाधनों से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इसी प्रकार के केंद्र खोलने के लिए स्वतंत्र हैं। अब तक, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुरोध पर देश भर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 25 एनसीएससी खोले गए हैं और चल रहे हैं।

इस योजना का अधिदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों की रोजगार क्षमता बढ़ाना है तथा रोजगार मेले आयोजित करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों की प्लेसमेंट हेतु प्रयास किया जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए एनसीएससी के माध्यम से आयोजित विशेष कोचिंग कार्यक्रम और विभिन्न कंप्यूटर पाठ्यक्रमों में 5085 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार/एनजीओ आदि के सहयोग से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए एनसीएससी द्वारा 302 रोजगार मेले/प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किए गए जिनके माध्यम से 4649 उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान किया गया है।

भारत सरकार, पूरे देश में राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को भी लागू कर रही है जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों से नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी की खोज और मिलान, कैरियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि सहित कैरियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए एक वन-स्टॉप समाधान है। एनसीएस सभी रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों (एससी/एसटी

सहित) और नियोक्ताओं को गतिशील, कुशल और जवाबदेही प्रक्रिया से रोजगार मिलान हेतु एक साझे मंच पर लाता है। दिनांक 28.02.2025 तक, एनसीएस पोर्टल पर 4.7 करोड़ से अधिक रिक्तियां जुटाई गई हैं।

भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय समाज के वंचित और हाशिए पर पड़े वर्गों, विशेष रूप से एससी और ओबीसी समुदाय के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत है। वर्ष 2014-2015 में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-एससी) की शुरुआत की थी जो अपने-आप में एक अनूठी पहल थी। पिछड़े वर्गों (वीसीएफ-बीसी) के लिए इसी तरह की योजना वर्ष 2017-2018 में शुरू की गई थी। वीसीएफ-एससी और वीसीएफ-बीसी के तहत क्रमशः 4% और 6% की कूपन दर पर 10 लाख रुपये से 15 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना पूरे भारत में लागू है। अब तक, महाराष्ट्र से 86 एससी और 5 ओबीसी वर्ग से संबंधित उद्यमी लाभान्वित हुए हैं।

इन योजनाओं का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के उद्यमियों को रियायती वित्त सुविधा प्रदान करना है, जो समाज के लिए धन और उपयोगिता का सृजन करेंगे और साथ ही उनके लाभदायक व्यवसायों को बढ़ावा देंगे, जिससे इन समुदायों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन भी बढ़ेगा।

इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (डीओएसजे&ई) ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्गों, ईडब्ल्यूएस, डीएनटी, कचरा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारियों को पैनल में शामिल प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना नामतः प्रधानमंत्री - दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना शुरू की है। पीएम-दक्ष योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित लक्षित समूह के कौशल को बढ़ाना और उन्हें वेतन-रोजगार और स्वरोजगार दोनों में रोजगार-सक्षम बनाना है। इस योजना को अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हो जाने के बाद, प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन और प्रमाणन किया जाता है और प्रमाणित प्रशिक्षुओं को वेतन-रोजगार या स्वरोजगार में प्लेसमेंट के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, ट्राइफेड (टीआरआईएफईडी) के माध्यम से, 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)' योजना का क्रियान्वयन कर रहा है जिसका उद्देश्य जनजातीय उद्यमिता पहलों को मजबूत करना और प्राकृतिक संसाधनों, कृषि/लघु वन उपज (एमएफपी)/गैर-कृषि उपज के अधिक कुशल, न्यायसंगत, स्व-प्रबंधित, इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर आजीविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाना है। इस योजना के

तहत, राज्य सरकारों को प्रत्येक वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) की स्थापना के लिए 15.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो एमएफपी/गैर-एमएफपी के मूल्यवर्धन कार्यकलापों के केंद्र हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है, जो आय-अर्जक कार्यकलापों और स्वरोजगार के लिए पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों/एसएचजी को रियायती ऋण प्रदान करके ऋण लिंकेज की सुविधा प्रदान करता है जिससे उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलता है।

***